

कार्यालय, नगर पंचायत, शिवहर

पत्रांक:...../न०पं०  
शिवहर, दिनांक:.....

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत, शिवहर।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण)  
बिहार (स्थानीय शाखा), पटना।

विषय:- नगर पंचायत, शिवहर के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 711/2009-10 के  
अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना यह है कि नगर पंचायत, शिवहर के  
अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 711/2009-10 का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ  
संलग्न कर समर्पित की जा रही है। अनुपालन प्रतिवेदन का अनुमोदन दिनांक:  
09-08-2012 के बोर्ड की बैठक में प्रस्तावित है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाए।

अनु०:- यथ:- उपरोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत, शिवहर।

ज्ञापांक: 241/...../न०पं० शिवहर, दिनांक: 3-8-12

प्रतिलिपि:- सरकार के संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना  
को पत्रांक: 2609 दिनांक: 23-07-12 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ।

अनु०:- अनुपालन प्रतिवेदन का एक प्रति

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत, शिवहर।

अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन

संख्या:— 711 / 09-10 अवधि 2005-06 से 2008-09

क्र०सं०	कडिका संख्या	विषय वस्तु	अनुपालन	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	1.	प्रस्तावना	कोई आपत्ति नहीं	
2.	2.	प्रशासन	कोई आपत्ति नहीं	
3.	3.	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	कोई आपत्ति नहीं	
4.	4.	महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणाम		
		(i) मोबाईल टावर मालिको से करों की वसूली नहीं 13,00,000/-	(i) Quippo Telecom Infrastructure limited, Patna से एक लाख रुपये की वसूली M.R No:- 115 ड्राफ्ट नं० 075045/10-12-2009 के द्वारा 1,00,0=00 (एक लाख) रुपये दिनांक 18-12-2009 को जमा कराया गया, शेष मोबाईल टावर पर नोटिस किया गया है। प्राप्त राशि नगर पंचायत के संचारित खाता नं० 1812426440 में जमा है।	
		(ii) पेयजल आपूर्ति हेतु प्राप्त अनुदान का अप्रयुक्त रहना।	(ii) दो चरणों में P.H.E.D शिवहर द्वारा 260 (दो सौ साठ) चापाकल गड़्डा जाना था। जिसके अन्तर्गत 130 चापाकल गड़्डने हेतु 19.50 (उन्नीस लाख पच्चास हजार) लाख रुपये में 13.5% Departmental charges काट कर 100 (एक सौ) चापाकल गड़्डा गया शेष 2,68,866 रूपया P.H.E.D शिवहर द्वारा पूराने दर पर कार्य नहीं होने के कारण लौटा दिया गया है। सरकार के अवर सचिव नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को प्रति चापाकल के पुनरीक्षित प्राकलन 23,900 रुपये के स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक: 42 दिनांक: 30-03-10 तथा पत्रांक: 140 दिनांक: 29-07-10 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जा चुका है। परन्तु स्वीकृति अप्राप्त है। जिसके कारण अनुदान की शेष राशि अप्रयुक्त है।	

*Per*


8.	8.	निरस्त	
7.	7.	बजट	
6.	6.	वित्तीय अधिदृश्य:-	<p>रोकड़ पंजी एवं पास बुक के अधिशेष की पुनः मिलान की जा रही है।</p>
5.	5.	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन:-	<p>भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।</p>
6.	6.	गृह कर आरोपित न किया जाना	<p>दिन-टिकट कमीशन एजेन्ट श्री विकास साह, पिता स्व० रामाज्ञा साह, शिवहर, वार्ड नं० 4 द्वारा M.R No-112 द्वारा मो० 16,880/- रूपया जमा दिनांक 16-12-2009 को करा लिया गया है जो नगर पंचायत, शिवहर के संधारित खाता सं० 1812426440 में जमा है।</p> <p>शिवहर नगर पंचायत का गृह कर 11,00,872 (एगारह लाख आठ सौ बहत्तर) रूपया निर्धारित हुआ है। अवतक वसूलि 3,65,070.31 (तीन लाख पैसठ हजार सत्तर रूपये एकतीस पैसे) रूपये की वसूलि की गई है।</p>
7.	7.	बिक्री कर की कम कटौती रू० 26,480 /-	<p>चूकि कार्य सभी 2005-06 में किया गया है। बिहार सरकार के पत्र सं० 5014 दिनांक: 18-10-2002 एवं वाणिज्य कर सहायक आयुक्त सीतामढी के पत्र संख्या 33 दिनांक: 24-01-2003 के आलोक में बिक्री कर की कटौती की गयी है। जो सुलभ संदर्भ हेतु पत्र का छाया प्रति संलग्न की जा रही है।</p> <p>अतः कांड़िका को निरस्त किया जाए।</p> <p>भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।</p>

Per

9.	9.	पूयजल आपूर्ति हेतु प्राप्त अनुदान का अप्रयुक्त रहना:-	कंडिका 4 (ii) में दिया गया जबाव को समझा जाए।	
10.	10.	मोबाइल टावर मालिकों के पास बकाया कर	कंडिका 4(i) में दिया गया जबाव को समझा जाए।	
11.	11.	लेखा में कम जमा:-	कंडिका 4 (iii) में दिया गया जबाव को समझा जाए।	
12.	12.	गृह कर का आरोपित नहीं किया जाना:-	कंडिका 4(iv) में दिया गया जबाव को समझा जाए।	
13.	13.	अधिक भुगतान	अभिकर्ता द्वारा समय पर कार्य किया गया है। उधर सामग्री लेने के कारण अग्रिम प्राप्ति के बाद भुगतान किया गया है। इसलिए अभिश्रव में बाद का तिथि अंकित की गयी है। लेकिन वास्तविक में कार्य हुआ है। अतः कंडिका को निरस्त किया जाए।	
14.	14.	अधिक भुगतान	संबंधित अभिकर्ता से उक्त राशि की वसूली कर तथा सामंजस करने के पश्चात इसकी सूचना स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को भेज दी जाएगी।	
15.	15.	अधिक भुगतान	संबंधित अभिकर्ता से उक्त राशि की वसूली कर तथा सामंजस करने के पश्चात इसकी सूचना स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को भेज दी जाएगी।	

Dev

16.	16.	बिक्री कर की कम कटौती	कंडिका 4 (v) में दिया गया जबाव को समझा जाए।	
17.	17.	I.D.S.M.T के अन्तर्गत योजना सं० 02/98-99 का अपूर्ण रहना।	कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अग्रिम का समायोजन भी हो चुका है। मार्केट कम्प्लेक्स के कमरा नं० 1 की बंदोवस्ती भी हो चुका है।	
18.	18.	कार्यपालक पदाधिकारी से वर्तलाप:-	कोई आपत्ति नहीं।	
19.	19.	लेखा परीक्षा परिणाम	कोई आपत्ति नहीं।	
20.	20.	सामान्य अभियुक्ति:-	कोई आपत्ति नहीं।	

  
 कार्यपालक पदाधिकारी  
 नगर पंचायत, शिवहर।